न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

प्रकरण संख्या : 17/2018 एफ एस एस एक्ट

1. सरकार जरिये जयसिंह यादव खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा,जिला दौसा ।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता मैसर्स सुनिल जनरल स्टोर, पुलिस थाने के सामने, मण्डावर रोड, महवा, दौसा निवासी तहसील रोड, पारासर कॉलोनी, महवा।
2. श्री विनोद कुमार शर्मा मैसर्स विनोद टी पैकेजिंग, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, परशराम कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, निवासी क्यारदा, पोस्ट क्यारदा खुर्द, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

— अभियुक्तगण—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उपस्थिति : श्री जयसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 01.8.2018

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के कार्यालय में कार्य सम्पादन कर रहा हूँ। राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना (नोटिफिकेशन) क्रमांक एच/पीएफए/नोटिफिकेशन/2011/440 दिनांक 26.07.11 के अनुसार मुझे खाद्य सुरक्षा अधिकारी की शक्तिया प्रयुक्त करने के लिए अधिकृत किया गया है तथा श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें राज.जयपुर के आदेश क्रमांक 637 दिनांक 13.8.2014 एवं संशोधित आदेश क्रमांक 779 दिनांक 18.9.2014 के द्वारा मुझे मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा के अन्तर्गत आने वाले समस्त स्थानीय क्षेत्र आवंटित किया गया है।

यह है कि दिनांक 18.01.2018 को दोपहर 12:15 बजे मैसर्स— सुनिल जनरल स्टोर, पुलिस थाने के सामने, मण्डावर रोड, महवा दौसा स्थित का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय दुकान पर विक्रेता श्री सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता उपस्थित मिला ने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर उससे खाद्य पदार्थ लाईसेन्स दिखाने के लिए कहा तो उसने खाद्य पदार्थ लाईसेन्स न होना जाहिर किया।

यह है कि निरीक्षण के समय विक्रेता की दुकान पर 120 मूल पॉली पैक 50 ग्राम वजन में पैक चाय (लाल बाग) आम जनता को बेचने हेतु रखी हुई थी में मिलावट का शक होने पर 50 ग्राम के 40 मूल पॉली पैक नमूने की जॉच हेतु खरीदे। जिसकी कीमत 320 रू नकद देकर बिल प्राप्त किया, जो संलग्न है।

यह है कि चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व (विक्रेता) एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को खरीदशुदा चाय (लाल बाग) के 10—10 पॉली पैक पर चिपकाकर अलग—अलग खाकी कागज में लपेट कर किनारो को सफाई से मोडकर

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

गोंद से चिपकाकर डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर ए.जी.–1825 उपर से नीचे पूरे राउंड में गोंद से चिपकाकर एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर चार–चार जगह से उपर नीचे व दोनो साईडों में चपडी से सील मोहर कर बोतलों पर एफ.बी.ओ. (विक्रेता) के हस्ताक्षर इस तरह करवाये कि आधे हस्ताक्षर पेपर स्लीप पर व खाकी कागज पर आये व गवाहान व स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारों सील्ड बन्द पैकिटो को अपने कब्जे में लिया।

यह है कि आवेदक ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये जो संलग्न है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

यह है कि आवेदक ने कार्यालय में आकर फार्म नं. 6 की छः प्रतिया तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं0 6 की एक प्रति व नमूने का एक सीलबंद पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं0 6 की दो प्रतिया अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बंद पैकिट व फार्म नं0 6 का सील बंद लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च0श्रे0क0 मुख्यालय द्वारा दिनांक 19.01.2018 को खाद्य विश्लेषक एवं मुख्य सार्वजनिक विश्लेषक, राज0 जयपुर के यहां जमा करवाये, जिसकी प्राप्ति की रसीद संलग्न है।

यह है कि नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं0 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 19.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है तथा नमूने का चतुर्थ सीलबंद पैकिट व फार्म नं0 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 20.01.2018 को डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की जो संलग्न है।

यह है कि उक्त खाद्य पदार्थ चाय (लाल बाग) के नमूने की जांच रिपोर्ट जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जयपुर की जांच रिपोर्ट संख्या एलएस/67/एक्ट/2018/162 दिनांक 31.01.2018 डी.ओ व सीएमएचओ दौसा के जरिये आवेदक को प्राप्त हुई। उक्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य पदार्थ चाय (लाल बाग) का नमूना मिसब्राण्डेड होना पाया गया।

न्याय निर्णय आवेदन पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्तगण की गई। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 व 2 नियत पेशी दिनांक पर उपस्थित हुये। खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अप्रार्थी अभियुक्तगण के विरूद्ध प्रकरण में लगाये गये आरोपो को पढकर सुनाया गया। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 1 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ चाय (लाल बाग) हमारे द्वारा बिल से पैक माल खरीदकर पैक ही बेचा है। अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै बाजार से चाय खरीद कर लाल बाग चाय के नाम से पैकिंग कर बाजार में बेच कर अपने परिवार का पालन करता हुं। मुझसे जानकारी के अभाव में पाउच पर **FSSAI NO.** प्रिन्ट नहीं करने की गलती हुई है। इस गलती को मैने अपने आगे की पैकिंग में सुधार करवा लिया है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थी अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण को खारिज फरमाये जाने की कृपा करे।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक जयपुर की जांच रिपोर्ट सं0 एलएस/67/एक्ट/2018/162 दिनांक 31.01.2018 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ

न्याय निर्णय अधिकारी एव
अति0 जिला मजिस्ट्रेट दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

चाय (लाल बाग) का नमूना मिसब्राण्ड होना पाया। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ चाय (लाल बाग) मिसब्राण्ड का विक्रय किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 (2) (II) का उल्लंघन होने से अपराध कारित होने के फलस्वरूप अप्रार्थी अभियुक्त सं0 2 श्री विनोद कुमार शर्मा, मैसर्स विनोद टी पैकेजिंग, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, परशराम कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, निवासी क्यारदा, पोस्ट क्यारदा खुर्द, हिण्डौन सिटी, जिला करौली पर 10,000/–(अक्षरे दस हजार रूपये) शास्ति आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त शास्ति राशि निर्णय दिनांक 01.8.2018 के एक माह के अन्दर–अन्दर जमा कराकर चालान की प्रति प्रस्तुत करे ।

निर्णय लिखवाया जाकर आज दिनांक 01.8.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/ 10456- 10459
दिनांकः– 01.08.2018

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी,मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।
3. श्री सुनिल कुमार गुप्ता पुत्र श्री मनोहर लाल गुप्ता मैसर्स सुनिल जनरल स्टोर, पुलिस थाने के सामने, मण्डावर रोड, महवा, दौसा निवासी तहसील रोड, पारासर कॉलोनी, महवा।
4. श्री विनोद कुमार शर्मा मैसर्स विनोद टी पैकेजिंग, रिलायंस पेट्रोल पम्प के पीछे, परशराम कॉलोनी, हिण्डौन सिटी, जिला करौली, निवासी क्यारदा, पोस्ट क्यारदा खुर्द, हिण्डौन सिटी, जिला करौली।

(राजवीर सिंह चौधरी)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

आ0 जिला